अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर 17/11/2015

गफार बनाम ओम प्रकाश

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	19/00097	
	श्री महावीर सिंह खान श्री अजीत सिंह लेखराज 6833	

गफार बनाम ओम प्रकाश वगैरह

17.5.19

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्टस उपस्थित। दिनांक 15.05.2019 को अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है और एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों का विवेचन व विश्लेषण नहीं कर सरसरी तौर पर अपीलांट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश प्रदान किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर के आदेश की पालना व प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 ने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 25.01.2019 में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जानें के अन्तरिम आदेश दिये हैं। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में नहीं आती है इसलिए खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन कया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 25.01.2019 में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जानें के अन्तरिम आदेश दिये है। चुँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 17 की तलबी पूर्ण होनी बकाया हैं उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को सांक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी